

न्यायालय संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :- डॉ. श्रीमती प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :- 537 / 2024

जी.सी.एम.एस नंबर :- 2024 / 567

अपीलाण्ट :-

बनाम

रेस्पोडेन्ट :-

1. पकली पुत्री जवाना उर्फ जवानराम जी पत्नि श्री वजाराम जी), उम्र- 73 वर्ष, जाति-घांची, निवासी-बडी ब्रह्मपुरी, ब्राह्मणों का बास गुन्दोज, तहसील एवं जिला-पाली, 306422
2. वरजुदेवी पुत्री जवाना उर्फ जवानराम (पत्नी श्री लच्छाराम) उम्र 83 वर्ष जाति घांची, निवासी 1180 निवासी 13, खांगलो का बास, चाणौद, तहसील एवं जिला-पाली

1. मृत देवाराम पुत्र जवाना उर्फ जवानराम जी, उम्र बालिग, जाति घांची, निवासी डिंगाई, तहसील एवं जिला पाली के विधिक प्रतिनिधी-
1/1 पप्पाराम पुत्र भंवरलाल (तथाकथित गोदपुत्र देवाराम) जाति-घांची, निवासी - डिंगाई, तहसील एवं जिला-पाली
2. ग्राम पंचायत डिंगाई जरिये सरपंच,
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पाली, तहसील - पाली, जिला-पाली

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पाली के प्रकरण संख्या 12/2020 में पारित निर्णय दिनांक 31-05-2022

उपस्थिति :-

1. श्री नौरतन चौहान, श्री दौलत मकवाणा, विद्वान अधिवक्ता, अपीलाण्ट।
2. श्री घेवरराम गहलोत, विद्वान अधिवक्ता, रेस्पोडेण्ट्स संख्या, 1।

:: निर्णय ::

दिनांक:- 24 अक्टूबर, 2024

पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी की ओर से अपील ग्राम पंचायत, डिंगाई ग्राम डिंगाई के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 145 दिनांक 27.12.1970 को निरस्त कराने हेतु रेस्पोडेण्ट्स के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रथम अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली में प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली द्वारा अपील को दिनांक 31/05/2022 को खारिज किया गया।

उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 31-05-2022 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन से तलब किया गया।
3. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान् की सुनी गई।

संभागीय आयुक्त,
पाली

4. विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि ग्राम मौजा डिंगाई, पटवार हल्का डिंगाई, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुडाएन्दला, तहसील-पाली की सरहद में खसरा नम्बर 349 रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा, किस्म किस्म सेवज अव्वल, खसरा नंबर 479 रकबा 02 बिस्वा 09 बिस्वा, किस्म बारानी अव्वल एवं खसरा नंबर 523 रकबा 07 बीघा 14 बिस्वा, किस्म सेवज अव्वल, कुल रकबा 22 बीघा, 02 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि को आगे "विवादग्रस्त भूमि" कहा गया है। विवादग्रस्त भूमि के पुराने राजस्व रिकॉर्ड खतौनी एकीकरण जमाबन्दी संवत् 2019 एवं जमाबन्दी संवत् 2027 से 2030 के अनुसार अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के पिता जवाना पुत्र चैना, कौम-घांची, निवासी-डिंगाई की खातेदारी थी। प्रमाण मे खतौनी एकीकरण जमाबन्दी संवत् 2019 एवं जमाबन्दी संवत् 2027 से 2030 की प्रमाणित प्रतियां साथ में पेश है। जवाना पुत्र चैना, कौम घांची निवासी-डिंगाई का स्वर्गवास सन् 1970 मे चुका है। स्व. जवाना पुत्र चैना जी घांची, निवासी- डिंगाई के दो पुत्रियां अपीलार्थीगण वरजु एवं पकली तथा एक पुत्र रेस्पोडेण्ट देवाराम जीवित है। जवाना पुत्र चैना घांची की धर्मपत्नी का स्वर्गवास जवाना पुत्र चैना घांची के जीवनकाल में हो चुका था। इस प्रकार अपीलार्थीगण स्व. जवाना वल्द चैना घांची निवासी डिंगाई की प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान् होकर वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थीगण का हिस्सा अनुपात अनुसार रेस्पोडेण्ट्स देवाराम के साथ शामलात में कब्जा काश्त कायम था और है। तत्कालीन हल्का पटवारी ने जैर अपील म्यूटेशन भरते समय तथा रेस्पोडेण्ट ग्राम पंचायत डिंगाई ने जैर अपील म्यूटेशन स्वीकृत करते समय जवाना वल्द चैना घांची के उत्तराधिकारियों बाबत् बिना कोई जांच किये तथा अपीलार्थीगण को नोटिस, जवाब, सुनवाई, साक्ष्य-सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना ही रेस्पोडेण्ट्स देवाराम के साथ मिलीभगत एवं मिलावट करते हुये स्व. जवाना वल्द चैना घांची के केवलमात्र एक विधिक वारिसान् पुत्र देवाराम होना अंकित करते हुये रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 देवाराम के पक्ष मे जैर अपील म्यूटेशन भरकर स्वीकृत कर दिया। जबकी अपीलार्थीगण भी स्व. जवाना वल्द चैना घांची, निवासी-डिंगाई की प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान् है अतः जैर अपील म्यूटेशन गलत, विधि-विरुद्ध एवं एब-इनिशियो-वॉर्डेड है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि दिनांक 09-07-2020 को अपीलार्थीगण गांव डिंगाई आयी और वादग्रस्त भूमि सहित डिंगाई स्थित अन्य खसरा नम्बर 875,876 एवं 877 की भूमि पर देख-रेख करने गयी, तभी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 देवाराम कुछ अजनबी व्यक्तियों के साथ वादग्रस्त भूमि पर आया और वादग्रस्त भूमि सहित अन्य खसरा नम्बर 875 से 877 की भूमि बैचान हस्तांतरण करने का कथन किया। तब अपीलार्थीगण ने रेस्पोडेण्ट देवाराम को कहा कि तुम्हे बैचान करना है तो अपने हिस्से की भूमि का पहले मौके पर नाप एवं सीमाकन कर तथा पत्थर गढ़ी करवाकर तथा बंटवाडा करवाकर बैचान करे। बिना विभाजन कराये रेस्पोडेण्ट संख्या देवाराम अकेले को वादग्रस्त भूमि सहित अन्य खसरा नम्बरान 875 से 877 की भूमि अजनबी व्यक्तियों को बैचान हस्तांतरण करने का कानूनन् हक-अधिकार नहीं है। तब रेस्पोडेण्ट रेस्पोडेण्ट्स ने विभाजन कराने से इंकार किया तथा अपीलार्थीगण को धमकी दी कि वादग्रस्त भूमि एवं अन्य खसरा नम्बर 875 से 877 मे तुम्हारा कोई हक हिस्सा, अधिकार नहीं है। मैं वादग्रस्त भूमि सही खसरा नम्बर 875 से 877 की भूमि मे अपनी खातेदारी की सम्पूर्ण हिस्सा भूमि




संभागीय आयुक्त,
पाली

बेचान करूंगा, तुम्हारे बन सके सो कर लो तथा आज के बाद इस भूमि पर पैर रखा तो तुम्हारे हाथ पैर तोड दूंगा। देवाराम की उपरोक्त बाते सुनकर अपीलार्थीगण को बहुत आश्चर्य हुआ। अपीलार्थीगण उसी दिन हल्का पटवारी के पास गयी तो हल्का पटवारी ने अपना रिकॉर्ड देखकर अपीलार्थीगण को बताया कि वादग्रस्त भूमि एवं खसरा नम्बर 875, 876 एवं 877 के राजस्व रिकॉर्ड मे जमाबन्दी मे जवाना वल्द चैना घांची की खातेदारी हक हिस्सा की सम्पूर्ण भूमि केवलमात्र देवाराम वल्द जवाना के नाम दर्ज है। जिस पर अपीलार्थीगण ने हल्का पटवारी से वादग्रस्त भूमि एवं खसरा नम्बर 875 से 877 की चालू जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस एवं खसरा गिरदावरी की नकले ली तथा पाली आकर अपने अधिवक्ता के कहे अनुसार वादग्रस्त भूमि सहित खसरा नम्बर 875 से 877 की भूमि के पुराने राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की तथा जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 145 दिनांक 27-12-1970 सहित नामान्तरकरण संख्या 122 दिनांक 27-12-1970 की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने हेतु अपने अधिवक्ता के जरिये दिनांक 16-07-2020 को तहसील कार्यालय पाली मे नकल आवेदन पेश किया। जिस पर दिनांक 20-07-2020 को जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 145 की नकल प्राप्त हुई, जिसे पढवाने पर दिनांक 20-07-2020 को अपीलार्थीगण को सर्वप्रथम बार जानकारी हुई कि वादग्रस्त भूमि बाबत् जैर अपील म्यूटेशन विधि-विरुद्ध रूप से केवलमात्र रेस्पोजेण्ट संख्या 01 के पक्ष मे भर कर स्वीकृत किया गया। अतः अपीलाधीन म्यूटेशन की अपीलाण्ट्स को जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मयाद पेश है। विधि अनुसार ऐसे शून्य, गलत, विधि-विरुद्ध तथा **Ab initio void** म्यूटेशन को निरस्त करने के लिये मियाद कोई बाधा नहीं है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रथमदृष्टया साबित एवं रोशन है कि पत्रावली रिकॉर्ड तलबी एवं जवाब प्रार्थना-पत्रों हेतु नियत थी तथा योग्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध प्रशासन गांवो के संग अभियान गुडा एन्दला की पेशी तारीख 31.5.2022 के लिये जारी नोटिस अपीलार्थीगण पर तामिल ही नहीं करवाये गये। अतः प्रकट है कि प्रशासन गांवो के संग अभियान गुडा एन्दला मे तारीख 31.5.2022 को उपस्थित आने हेतु जारी नोटिस की अपीलार्थीगण पर विधि एवं नियमानुसार पर्याप्त तामिल करवाये बिना अपीलार्थीगण की गलत रूप से कैम्प में उपस्थिती बताकर जैर अपील आदेश पारित कर अपीलार्थीगण की अपील निरस्त करने मे योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों एवं विधि की भारी भूल की, जिससे अपीलार्थीगण को सख्त प्रिज्युडिस हुई अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि लोक अदालत एवं न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट गुडा एन्दला की समाप्ति के पश्चात् शाम करीब 5.30 पी. एम. पर वकील अपीलार्थीगण योग्य अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित आये तो उन्हे पता चला कि योग्य अधीनस्थ यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है जिस पर वकील अपीलार्थीगण ने पहले तो विरोध किया परन्तु पी. ओ. साहब अपील का फैसला करने हेतु आमादा होने से वकील अपीलार्थीगण ने उसी दिन अपील के समर्थन मे न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये। फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त न्यायिक स्थिति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि लोक अदालत एवं न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट का उद्देश्य न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों का निस्तारण पक्षकारों के मध्य समझाईस कर राजीनामा के माध्यम से किया जाना है और अगर पक्षकारों में




संभागीय आयुक्त,
पाली

राजीनामा की सम्भावना न हो तो पत्रावली नियमित पेशी में नियत की जाती है। इस संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.सी.सी.आर. सिविल 2006 (4) पेज 947 का न्यायिक उदहरण में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि लीगल सर्विसेज ऑथरिटीज एक्ट 1987 की धारा-20 के तहत पॉवर ऑफ डिसपोजल ऑफ कैसेज बाई लोक अदालत- **No Order can be passed by Lok Adalat if no compromised or Settlement or could at between Parties**, इस प्रकार लोक अदालत में केवलमात्र राजीनामा के जरिये ही प्रकरण का निस्तारण करने के विधिक प्रावधान है, न कि मेरीट पर। फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने उपर दर्ज अनुसार न्यायिक प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना तथा उपरोक्त न्यायिक स्थिति की अवमानना करते हुये केवलमात्र अपना कोटा पूर्ण करने की गरज से रेस्पोंडेंट संख्या 2 व 3 की तलबी, रिकॉर्ड तलबी एव जवाब प्रार्थना-पत्रों हेतु नियत प्रकरण का रेस्पोंडेंट पप्पाराम जिसे रिकॉर्ड पर प्रति: स्थापित ही नहीं किया गया के मौखिक निवेदन के आधार पर निस्तारण करते हुये अपीलार्थीगण की अपील को मियाद के बिन्दू पर खारिज करने में भारी विधिक एवं प्रक्रियात्मक भूल की है। मात्र इसी कारण एवं आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि इसके अलावा यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अधीनस्थ ग्राम पंचायत से संबंधित रिकॉर्ड यानि जैर अपील प्रस्ताव संख्या 26/70-71 एवं तहसील कार्यालय से उक्त प्रस्ताव संख्या 26/71-71 की पालना में स्वीकृत म्यूटेशन संख्या 145 दिनांक 27.12.1970 भी प्राप्त नहीं हुआ है अतः बिना रिकॉर्ड प्रकरण के अपील का मेरीट पर निस्तारण नहीं किया जा सकता था। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्त 2006 आर. आर. डी. पेज-131 प्रस्तुत किया गया परन्तु फिर भी अदृश्य कारणों से योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधिक स्थिति की ओर भी ध्यान नहीं देकर उक्त न्यायिक दृष्टान्त की भी अवमानना कर जैर अपील आदेश पारित किया जो केवलमात्र इसी कारण एवं आधार पर निरस्त करने योग्य है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील की मियाद का प्रश्न है, इस संबंध में निवेदन है कि पुत्रियों को पैतृक सम्पत्ति में जन्म से अधिकार है और अगर जैर अपील म्यूटेशन Was attested at the back of the petitioner Without giving daughters of the deceased khatedar any opportunity of hearing] the petitioner filed an appeal as soon as the matter came to her knowledge- As such the plea of the non&petitioner about bar of limitation is not tenable in the case under considration- जैसाकि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने न्यायिक दृष्टान्त 2011 (1) RRT- Page 432 के para No 7, 8 & 9 में 1993 DNJ (SC) Page 46, 2008 RBJ Page 447 एवं 2008 RRD Page 474 पर निर्भर कर अभिनिर्धारित किया। उपरोक्त तमाम न्यायिक दृष्टान्त भी अपीलार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने योग्य अधीनस्थ न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किये परन्तु फिर भी अदृश्य कारणों से योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधिक स्थिति की ओर भी ध्यान नहीं देकर उक्त न्यायिक दृष्टान्तों की भी अवमानना कर जैर अपील आदेश पारित किया जो केवलमात्र इसी कारण एवं आधार पर निरस्त करने योग्य है।


संभागीय आयुक्त,
पाली



अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अपीलार्थीगण जैर अपील से प्रभावित पक्ष थी जिनको कोई नोटिस दिये बिना स्वीकृत जैर अपील नामान्तरकरण Ab initio Void है, जिसे किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। इसके लिये मियाद कोई बाधा नहीं है। इस संबंध में वकील अपीलाण्ट ने न्यायिक दृष्टान्त 2002 RBJ Page 108, 2002 RRD Page 111, 1989 RRD Page 45, 1994 RRD Page 215, 1994 RRD Page 606, 2007 (1) RRT Page 42 (Rely On (2004) 8 S C 706 & 1984 RRD 280) प्रस्तुत किये परन्तु फिर भी अदृश्य कारणों से योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधिक स्थिति की ओर भी ध्यान नहीं देकर उक्त न्यायिक दृष्टान्तों की भी अवमानना कर जैर अपील आदेश पारित किया जो केवलमात्र इसी कारण एवं आधार पर निरस्त करने योग्य है। विधि अनुसार पुत्रियां प्रथम श्रेणी की वारिस हैं और नामान्तरकरण करते एवं स्वीकृत करते समय मनमाने ढंग से उसे छोड़ा नहीं जा सकता है और अगर उसे एकपक्षीय रूप से छोड़ा गया है तो ऐसे एकपक्षीय आदेश में परिसीमा तात्विक नहीं है और न ही पुत्रियों का घौषणा हेतु वाद पेश करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इस संबंध में वकील अपीलाण्ट्स ने न्यायिक दृष्टान्त 2013(2) RRT Page 1284 & 2013 (2) RRT Page 766 प्रस्तुत किये परन्तु फिर भी अदृश्य कारणों से योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधिक स्थिति की ओर भी ध्यान नहीं देकर उक्त न्यायिक दृष्टान्तों की भी अवमानना कर जैर अपील आदेश पारित किया जो केवलमात्र इसी कारण एवं आधार पर निरस्त करने योग्य है। अपीलार्थीगण की अपील जानकारी की दिनांक से प्रथम दृष्टया अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई थी जिसे मियाद बाहर मानकर निरस्त करने में योग्य अधीनस्थ न्यायालय तथ्यो एवं विधि की भारी भूल की है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि जब पक्षकारान के मध्य वाद विचाराधीन है तो विवादित नामान्तरकरण को निरस्त कर समरी कार्यवाही वाद के निर्णय तक keep abence में रखी जानी चाहिये। इस संबंध में वकील वकील अपीलाण्ट द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आर आर डी 1999 पेज नंबर 232, आर बी जे 2013(20) पेज नंबर 77, आर बी जे 2015(22) पेज नंबर 599, आर आर टी 2022(1) पेज नंबर 607 एवं आर बी जे 1966(6) पेज नंबर 481 प्रस्तुत किये गये। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2022 निरस्त फरमावे।

5. वकील रेस्पोंडेण्ट्स ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार निर्णय पारित किया गया है, जिसको यथावत रखा जाये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.05.2022 में विवेचन किया गया है कि जैर अपील में अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 27.12.1970 को स्वीकृत किया गया तथा अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील सन् 2020 को प्रस्तुत की गई है थी जो लगभग 50 वर्ष की अवधि की डिले के बाद प्रस्तुत की गई। अपीलाण्ट्स द्वारा उक्त विवादित आराजी के संबंध में अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद विचाराधीन हैं अपीलाण्ट्स के अधिकार वाद में साक्ष्य एवं बयानों के आधार पर ही साबित हो सकते हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार आदेश पारित किया गया। अतः अपील को खारीज फरमाया जावे।

6. हमने उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि जैर अपील ग्राम पंचायत, डिंगार्ड ग्राम डिंगार्ड के स्वीकृत



संभागीय आयुक्त,
पाली



नामान्तरकरण संख्या 145 दिनांक 27.12.1970 को निरस्त कराने हेतु रेस्पोजेण्ट्स के विरुद्ध प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली में प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली द्वारा दिनांक 31.05.2022 को यह आदेश पारित किया गया कि पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.12.1970 को जैर अपील नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया तथा अपीलाण्ट्स द्वारा यह अपील सन् 2020 को प्रस्तुत की गई। लगभग 50 वर्ष की अवधि की डिले का कोई युक्तियुक्त कारण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मयाद अधिनियम में दर्शित नहीं किया गया है। अपीलाण्ट्स द्वारा उक्त विवादित आराजी का अन्य दावा न्यायालय में विचाराधीन है अपीलाण्ट्स के अधिकार वाद में साक्ष्य एवं बयानों के आधार पर ही साबित हो सकते हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश को गुणावगुण के आधार पर तय नहीं कर मात्र मयाद के आधार पर ही तय किया गया है, जो न्यायोचित नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली ने अपीलाधीन आदेश को प्रशासन गांवो के संग फॉलो-अल कैम्प कोर्ट गुडा एन्दला में दिनांक 31.05.2022 को आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व कैम्प कोर्ट गुडा एन्दला में उपस्थित होने के लिए अपीलाण्ट अथवा उनके विद्वान अधिवक्ता को नोटिस जारी नहीं किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को विधि के प्रावधानो के अनुसार नहीं सुना गया। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली द्वारा प्रकरण का गुणावगुण पर फैसला नहीं किया गया है, मात्र अपील प्रस्तुत करने में देरी होने से अपील खारिज की गई है तथा न ही अपीलाण्ट को सी.पी.सी. के विधिक प्रावधानो के अनुसार सुना गया। प्रकरण के समस्त तथ्यो का अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विवेचन नहीं किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का फैसला अस्पष्ट है तथा तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली के प्रकरण संख्या 12/2020 उनवान पकली बनाम मृत देवाराम पुत्र जवाना उर्फ जवानराम के विधिक वारिस-पप्पाराम वगैरह में आदेश दिनांक 31.05.2022 को अपास्त किया जाता हैं। न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली को प्रकरण इन दिशा निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाण्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुये स्पष्ट विवेचन के पश्चात् गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल होकर बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर की जाये।


संभागीय आयुक्त,
पाली

यह निर्णय आज दिनांक 24 अक्टूबर, 2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे-इजलास सुनाया गया।


संभागीय आयुक्त,
पाली

